

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं. 0755-2552899 ई-मेल mpprd.finance@mp.gov.in

= आदेश =

भोपाल, दिनांक /09/2019

क्रमांक/बजट/2019-20/ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये योजना क्रमांक-4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद में विभाग को जारी आवंटन में से ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, पुलिया निर्माण, बाउण्ड्रीवाल एवं गेट निर्माण, घाट निर्माण, रपटा निर्माण, स्टाप डेम एवं पुलिया निर्माण, सी.सी. रोड़ निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के लिए संबंधित जिला पंचायतों को राशि जारी किये जाने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-60/2019/11815-16, दिनांक 16.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-120/2019/12316-17, दिनांक 25.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-122/2019/12318-19, दिनांक 25.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-118/2019/12320-21, दिनांक 25.09.2019 एवं क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-123/2019/12322-23, दिनांक 25.09.2019 के अनुक्रम में राशि रूपये 47989200/- (राशि रूपये-चार करोड़ उन्चासी लाख नवासी हजार दो सौ मात्र) के आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय मांग संख्या-53-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{197-जनपद पंचायत को सहायता}-योजना क्रमांक-(4610)-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना(सबस्कीम)-#42-सहायक अनुदान-008-राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन, के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

राशि का आहरण किया जाकर संलग्न सूची अनुसार जिला पंचायतों के बैंक खाता में राशि अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



सयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठानुक्रमांक/बजट/2019-20/12973
प्रतिलिपि :-


भोपाल, दिनांक 09/09/2019

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय) म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल को सूचनार्थ।

निरंतर...

// 02 //

7. संयुक्त संचालक(निर्माण)पंचायत राज संचालनालय की ओर आपके उपरोक्त प्रशासकीय आदेशों क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-60/2019/11815-16, दिनांक 16.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-120/2019/12316-17, दिनांक 25.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-122/2019/12318-19, दिनांक 25.09.2019, क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-118/2019/12320-21, दिनांक 25.09.2019 एवं क्रमांक/पं0रा0/निर्माण-123/ 2019/12322-23, दिनांक 25.09.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ।
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मुख्यालय की ओर एक अतिरिक्त प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।



संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म.प्र.भोपाल

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना क्रमांक-4610(197)0103-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद से ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, शांतीधाम, पुलिया निर्माण, हेतु द्वितीय किशत के लिए संबंधित जिला पंचायतों को राशि जारी किये जाने हेतु राशि का वितरण।

(राशि रूपये में)

S No.	District Name	Account No	IFSC Code	Amount
1	NARSINGHPUR	'3618672686	CBIN0281092	4652600
2	HARDA	'30730100006130	BARB0HARDAX	13947000
3	BETUL	'3617960084	CBIN0281071	5266400
4	UJJAIN	'910810210000116	BKID0009108	19804000
5	SATNA	'50382355285	ALLA0210203	4319200
योग(राशि-चार करोड़ उन्यासी लाख नवासी हजार दो सौ मात्र)				47989200


संयुक्त संचालक(वित्त)

पंचायत राज संचालनालय

म.प्र.भोपाल 